



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2005/अग्रहायण 25, 1927

No. 511]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2005/AGRAHAYANA 25, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 721(अ).—केन्द्र सरकार स्वायत्त औषधि और घनःप्रभावी प्रदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 815(अ) दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 तथा अधिसूचना सं. 604(अ) दिनांक 22 सितम्बर, 2005 को उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर | — | अध्यक्ष |
| 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सीकरी | — | सदस्य |
| 3. माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नन्दाजोग | — | सदस्य |

2. यह अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2005 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 820/11/2003-पीआईटीएनडीपीएस]

के. एस. शर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पणी :—अधिसूचना सं. सा.का.नि. 815(अ) दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 17 दिसम्बर, 2004 को प्रकाशित की गई थी तथा सा.का.नि. 604, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 22 सितम्बर, 2005 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 815(E), dated 17th December, 2004 and No. G.S.R. 604(E), dated 22nd September, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Hon'ble Mr. Justice T.S. Thakur | — | Chairman |
| 2. Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri | — | Member |
| 3. Hon'ble Mr. Justice Pradeep Nandrajog | — | Member |

2. This Notification shall come into force with effect from 19th December, 2005.

[F. No. 820/11/2003-PITNDPS]

K. S. SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note : The Notification G.S.R. 815(E), dated 17th December, 2004 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 2, Sub-section (i) on the 17th December, 2004 and G.S.R. 604, dated 22nd September, 2005 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 22nd September, 2005.